राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ– /नोटिस/2017–18/ 1252 दिनांक– 09-02-18

परिपत्र

निदेशालय के ध्यान में आया है कि जिन कार्मिकों को इस निदेशालय के स्तर से कार्यमुक्त किया जा चुका है, उनमें से कतिपय अपने नवीन विभाग/ कार्यालय में कार्यग्रहण अभी तक नहीं किया है जबकि पूर्व कार्यालय से कार्यमुक्त होने के पश्चात् उसी मुख्यालय पर स्थानान्तरण होने के मामले में तत्काल ही कार्यग्रहण किया जाना चाहिए। यदि स्थानान्तरण में नियमानुसार कार्यग्रहणकाल देय है तो तद्नुसार कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित है।

यह संशयहीन रूप से स्पष्ट है कि जिन कार्मिकों को निदेशालय के आदेशों से कार्यमुक्त किया गया वे पूर्व कार्यालय में अपनी पूर्व आधिकारिक पदस्थिति (official capacity) में पूर्व कार्यालय अर्थात उक्त कार्यमुक्ति से पूर्व जहाँ वे पदस्थापित थे, से सम्बन्धित राजकीय कार्य करने हेतु उक्त कार्यमुक्ति तिथि से अधिकृत नहीं रहे हैं। **अतः यदि कोई कार्मिक निदेशालय से कार्यमुक्त होने के पश्चात् भी अपने पूर्व कार्यालय में अपने पूर्व पद से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई राजकीय कार्य अनधिकृत रूप से सम्पादित करता है तो यह एक नियमविरूद्ध कृत्य होगा और इस हेतु सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।**

अतः समस्त कार्यमुक्त कार्मिकों को पुनः यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे नियमानुसार अपने नवीन पदस्थापन कार्यालय/ विभाग में कार्यग्रहण कर अविलम्ब निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

समस्त विभागध्यक्षगण/कार्यालयाध्यक्षगण से यह अपेक्षा है इस निदेशालय के स्तर से कार्यमुक्त किये गये कार्मिकों से कोई भी राजकीय कार्य नहीं करवाया जाये। यदि किसी कार्मिक की सेवाओं की तात्कालिक आवश्यकता सम्बन्धित पूर्व कार्यालय को अत्यावश्यक प्रतीत होती है तो सम्बन्धित कार्मिक को, नवीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के उपरान्त, अपने पूर्व कार्यालय का अतिरिक्त कार्यभार तात्कालिक रूप से दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ईमेल / फैक्स से इस निदेशालय को प्रेषित करने का श्रम करें ताकि निदेशालय स्तर से अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था तुरन्त की जा सके।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक–एफ–2(ग)(1)विविध/अलेसे–I/ 1252 दिनांक– 09-02-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष
3. उपनिदेशक(आईटी) निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर को परिपत्र निदेशालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक(कार्मिक–I/II/III)
5. समस्त स्थानान्तरित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकगण

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)